



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19447 वर्ष 2025

बद्री सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता : चंद्र प्रकाश तिवारी

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सी.पी. तिवारी और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें वर्ष 1986 में वन विभाग में माली/चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था और नियमितीकरण नियम के अंतर्गत उनका दावा 31.03.2003 को उत्पन्न हुआ था, उन्हें 25.08.2011 को नियमित किया गया था और वे 31.07.2022 को सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।
3. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि दावे पर विचार करने और अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3, मंडल वन अधिकारी, महोबा, जिला महोबा द्वारा किया जाएगा।
5. अधिवक्ताओं के ऐसे निवेदन पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए रिट याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 3, संभागीय वन अधिकारी, महोबा, जिला महोबा के समक्ष 16.01.2026 तक प्रस्तुत करे। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 3, तीन माह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 3 का मत है कि मामले का निर्णय प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो कागजात उन्हीं को प्रेषित किए जाएं।

6. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

6 जनवरी 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.